भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या –447
उत्तर देने की तारीखः 04.02.2020

दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड

447. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः
श्री उत्तम कुमार रेड्डीः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जारी किए गए विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्रों की संख्या कितनी है और देश में दिव्यांगजनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इतने कम प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी करने के क्या कारण हैं;

(ग) दिव्यांगता के कौन–से प्रकार किसी व्यक्ति को विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्र के लिए पात्र बनाते हैं;

(घ) क्या अर्जित दिव्यांगता (रोग अथवा दुर्घटना के कारण) और पढ़ने में अक्षम व्यक्ति इसके लिए पात्र होंगे; और

(ङ) विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्र धारकों को उपलब्ध होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री
(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क): 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं। दिनांक 30.01.2020 तक जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र की संख्या 29,04,420 है। 2011 की जनगणना

के अनुसार दिव्यांगजनों और सृजित विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र के राज्यवार ब्यौरें संलग्न हैं।

(ख): विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना 2016–17 में शुरू की गई थी। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केवल दिसम्बर 2019 में इसमें शामिल हुए। चूंकि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण दिव्यांगता प्रमाण पत्र/विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, परियोजना का वास्तविक कार्यान्वयन संबंधित राज्यों की तत्परता पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 में विशिष्ट विद्या (अधिगम) दिव्यांगताओं सहित निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की सूची शामिल है, जिसकी प्रति संलग्न है। कोई भी व्यक्ति जो दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी दिव्यांगता से ग्रस्त है, वह इस बात पर विचार किए बिना कि दिव्यांगता का कारण क्या है अर्थात यह जन्म से है अथवा दुर्घटना के कारण हुई है, यूडीआईडी पोर्टल अथवा किसी और प्रकार से दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास बैंचमार्क दिव्यांगता अर्थात् 40 प्रतिशत और इससे अधिक दिव्यांगता का वैध प्रमाणपत्र है, वह फिलहाल यूडीआईडी कॉर्ड के लिए पात्र हैं।

(ड़): इस चरण पर किसी निर्दिष्ट लाभ को इस निर्दिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र के साथ जोड़ा नहीं गया है। तथापि, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने राज्य परिवहन उपक्रम बसों द्वारा रियायती यात्रा के लाभ को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया है।

दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड के संबंध में दिनांक **04/02/2020** को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं **447** का पैरा (क) में उल्लिखित अनुबंध			
30.01.2020 की स्थिति के अनुसार यूडीआईडी परियोजना की स्थिति			
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिव्यांगजनों की कुल संख्या (जनगणना **2011** के अनुसार)	तैयार किए गए यूडीआईडी कार्ड की कुल संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6660	**3,132**
2	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश	2266607	**5,78,080**
3	अरुणाचल प्रदेश	26,734	**545**
4	असम	480,065	**10,750**
5	बिहार	2331009	**6265**
6	चंडीगढ़	14796	**4129**
7	छत्तीसगढ	624,937	**1,43,702**
8	दादर और नगर हवेली	3294	**25**
9	दमन और दीव	2196	**670**
10	गोवा	33012	**819**
11	गुजरात	1092302	**77**
12	हरियाणा	546,374	**1,89,010**
13	हिमाचल प्रदेश	155,316	**34,460**
14	जम्मू और कश्मीर	361,153	**16,998**
15	झारखंड	769,980	**17,361**
16	कर्नाटक	1324205	**14,023**
17	केरल	761,843	**1,09,498**
18	लक्षद्वीप	1615	**20,818**
19	मध्य प्रदेश	1551931	**27**
20	महाराष्ट्र	2963392	**3,53,470**
21	मणिपुर	58,547	**2,34,004**
22	मेघालय	44,317	**671**
23	मिजोरम	15,160	**8647**
24	नागालैंड	29,631	**1,875**
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	234,882	**188**
26	ओडिशा	1244402	**3,04,315**
27	पुडुचेरी	30189	**1,045**
28	पंजाब	654,063	**1,04,096**
29	राजस्थान	1563694	**3,32,075**
30	सिक्किम	18,187	**361**
31	तमिलनाडु	1179963	**83,426**
32	त्रिपुरा	64,346	**2,380**
33	उत्तर प्रदेश	4157514	**3,25,536**
34	उत्तराखंड	185,272	**1,925**
35	पश्चिम बंगाल	2017406	**4**
कुल		**2,68,14,994**	**29,04,420**

*****